# लोकसुनवाई का विवरण

विषय :– **ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मे0 इमामी सीमेंट लिमिटेड द्वारा ग्राम ढनढनी, तहसील बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) के 35.864 हेक्टेयर क्षेत्र में 0.725 मिलियन टन(आर ओ एम)उत्पादन क्षमता की प्रस्तावित चूना पत्थर खदान परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 24.10.2016 समय प्रातः 11:00 बजेको आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।**

मे0 इमामी सीमेंट लिमिटेड द्वारा ग्राम ढनढनी,तहसीलबलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) के 35.864 हेक्टेयर क्षेत्र में 0.725 मिलियन टन(आर ओ एम) उत्पादन क्षमता की प्रस्तावित चूना पत्थर खदान परियोजना की पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने के लिये लोक सुनवाई कराने बावत् छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया। दैनिक भास्कर, रायपुर तथा हिन्दुस्तान टाईम्स (दिल्ली संस्करण) दिनॉक 23.09.2016 के समाचार पत्र में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित कर दिनांक 24.10.2016दिन सोमवारको प्रातः 11:00 बजे से हाई स्कूल खेल मैदान, ग्राम ढनढनी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में सुनवाई नियत की गई, जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत को प्रेषित की गई।

उद्योग की प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् दिनांक 30.12.2015 को अपर कलेक्टर बलौदाबाजार,श्रीमती लीना कमलेश मण्डावी,जिला बलौदाबाजार–भाटापारा की अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान डॉ0 एस.के. उपाध्याय, क्षेत्रीय अधिकारी, श्री तीरथ राज अग्रवाल, एस.डी.एम. बलौदा बाजार,उद्योग प्रतिनिधि श्री दर्शन लाल, श्री ए.के. शुक्ला, श्री आर.पी. गोयल तथा मान्नीय विधायक श्रीजनक लाल वर्मा,जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के मान्नीय सदस्य, ग्राम पंचायतों के मान्नीय सरपंच, आस–पास के गांवों के किसान आदि लगभग पांच सौ जनसामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई दोपहर 11:25 बजे प्रारंभ की गई।

2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रकिया आरंभ की गई। जिन लोगों नेउपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये गयें है, उनकी सूची संलग्नक–2 अनुसार है।

3. क्षेत्रीय अधिकारी,डॉ. एस.के. उपाध्याय ने प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये अपर कलेक्टर महोदय से जन सुनवाई प्रारंभ करने का निवेदन किया।

4. अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मण्डावी ने प्रस्तावित परियोजना हेतु लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा की तथा परियोजना प्रस्तावक को परियोजना के संबंध में विवरण देने हेतु निर्देशित किया।

5. उद्योग प्रतिनिधिश्री आर. पी. गोयलने प्रस्तुतीकरण दिया तथा बताया कि इमामी ग्रुप चौथी सबसे बड़ी सूचीबद्ध भारतीय एफ.एम.सी.जी. कंपनी है। इमामी सीमेंट कंपनी अधिनियम 1956 के तहत् इमामी समूह की एक निगमित ईकाई है। कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में है, कंपनी की अखिल भारतीय मौजूदगी है और विश्व के विभिन्न देशों में इसकी उपस्थिति है। उक्त परियोजनाग्राम ढनढनी, तहसील बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) के 35.864 हेक्टेयर क्षेत्र में 0.725 मिलियन टन(आर ओ एम) उत्पादन क्षमता की प्रस्तावित चूना पत्थर खदान का प्रस्ताव है।

पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 और इसके आगामी संशोधनों के अनुसार यह परियोजना श्रेणी–बी क.सं. 1(ए)–(4) के अंतर्गत आती है। श्री गोयल ने पर्यावरणीय स्थिति के विवरण की जानकारी देते हुये बताया कि परियोजना स्थल से सोनबरसा एवं लाटवा संरक्षित वन उत्तर–उत्तर–पूर्व दिशा में तथा ढाबाडीह संरक्षित वन दक्षिण–पश्चिम दिशा में स्थित है तथा10 कि.मी. त्रिज्या में वन्यजीव अभ्यारण, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ रिजर्व, बायोस्फियर रिजर्व, हाथी कॉरिडोर्स आदि नहीं है।

परियोजना के लिये बुनियादी आवश्यकता के अंतर्गत 20 के.एल.डी. जल की, 2000 किलो वॉट बिजली की आवश्यकता होगी जिसकी आपूर्ती कैप्टीव पावर प्लांट/ग्रीड के माध्यम से की जायेगी। परियोजना की कुल लागत 20 करोड़ रूपये है। प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिये 1 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। श्री गोयल द्वारा परियोजना का प्लांट ले–ऑउट, प्रोसेस फ्लो चार्ट तथा परियोजना स्थल पर सूक्ष्म मौसम विज्ञान का विवरण तथा प्लांट परिसर एवं आस–पास के आठ स्थानों पर पर्यावरणीय आधारभूत अध्ययन के संबंध में परिवेशीय वायु गुणवत्ता विश्लेषण, ध्वनि स्तर, जल गुणवत्ता विश्लेषण एवं मृदा गुणवत्ता विश्लेषण के संबंध में जानकारी देते हुये स्लाईड के माध्यम से प्रस्तुतीकरण दिया गया। कच्ची सड़कों पर फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु पॉवर प्लांट से अपशिष्ट जल का उपचारोपरांत जल छिड़काव हेतु उपयोग किया जायेगा। लोडिंग–अनलोडिंग के दौरान जल छिड़काव की व्यवस्था प्रस्तावित है। परियोजना क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली विकसित की जायेगी। ध्वनि स्तर प्रबंधन के संबंध में अत्यधिक शोर उत्पन्न करने वाले उपकरणों के लिये आवश्यकतानुसार ध्वनि रोधी सायलेंसर उपलब्ध कराने, मशीनों का उचित रख–रखाव व हरित पट्टिका/वृक्षारोपण किये जाने व सुरक्षात्मक उपायों के संबंध में जानकारी दी गई।परियोजना क्षेत्र अर्थात 35.864 हेक्टेयर में से कुल एक्सवेटेड क्षेत्र 30.871 हे0 होगा इस एक्सवेटेड क्षेत्र में से 6 हे0 क्षेत्र में पुनर्भरण कर उस पर वृक्षारोपण किया जायेगा। शेष 24.871 हे0 क्षेत्र को जलाशसय में परिवर्तित किया जायेगा एवं लगभग 13016 नग पौधा रोपण कर ग्रीन बेल्ट डेवेलप्ड किया जायेगा।उद्योग द्वारा हरियर छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में 150 लाख रूपये वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 ग्रीन बेल्ट विकास में अनुदानदिये जाने की जानकारी दी गई। सी. एस.आर. गतिविधि के अंतर्गत कुल 40 लाख रूपये का प्रस्ताव है तथा 19.27 लाख रूपये का व्यय किया गया है, यह कम्पनी के द्वारा स्वास्थय, शिक्षा, जल, कौशल विकास में खर्च किये गये। इमामी सीमेंट कंपनी द्वारासी.एस.आर. गतिविधियॉ पहलेसेहीचल रहीहैवभविष्य मे पर्यावरण सविकृतिकीशर्तोकेअनुसारलागूकरेंगे।

6. अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मण्डावी ने जनसामान्य से इस परियोजना से संबंधित अपना विचार रखने, तथा इस संबंध में राय तथा जनसामान्य के लिखित एवं मौखिक सुझाव एवं आपत्ति आंमत्रित की तथा आश्वस्त किया कि जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी हो रही है।

तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रकिया आरंभ की गई। जिसकाविवरण निम्नानुसार है :–

1 श्री नंदकुमार साहू, बलौदाबाजार–भाटापारा ने कहा कि हम सब औपचारिक परंपरा का निर्वाह करने आये हैं। सीमेंट परियोजना का काम शासन के साथ एम.ओ.यु. के साथ ही शुरू हो चुका है, मैं जनपद अध्यक्ष के नाते सीमेंट परियोजना के कोर व बफर जोन में विकास की बात की है। ईमामी सीमेंट के प्रजेन्टेसन में इस बात पर ध्यान दिया गया है, बलौदा बाजार के 5 किलामीटर के दायरे में अम्बुजा, लाफार्ज श्री ग्रासिम ईमामी जैसे मल्टी नेशनल कम्पनियों के सीमेंट प्लाट है। सन् 1984 से सीमेंट प्लांट खुलने शुरू हुए.

तब से एक जागरूक नागरिक होने के मैंने महसूस किया है कि इन संयंत्रों के बाद भी क्षेत्र बेरोजगारी, भुखमरी, शिक्षा, से अभिशप्त है। मेरा साधुवाद कि ईमामी ने हम सबकी जागरूकता के कारण इन समस्याओं पर फोकस किया है। यह सराहनीय है क्योंकि सबको नौकरी नहीं दे सकते हैं। यह योजनाएं कितना मूर्तरूप ले रही है इसका ध्यान रखना हे। किसान की मजबूरी जमीन बेचना क्योंकि वह कर्ज से दबा हुआ है। मैं जनप्रतिनिधियों से आव्हान करने आया हूँ कि किसानों की रोटी कैसे मिले इस पर बात करना मौलिक दायित्व है। जो वाटर लेवल डैमेज होगा, जंगल प्रभावित होगा उसकी समय–समय पर जाँच होना चाहिए ताकि इस क्षेत्र के वासियों को स्वस्थ वातावरण मिले। मैंने कई जनसुनवाई अटेंड की हैं पर कुछ हुआ नहीं। अच्छी शिक्षा की सुविधा इनके कर्मचारियों को है । सबको अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि कंपनियों में रोजगार कम हुए हैं। पर लघु व कुटीर उद्योग लगें ऐसी शिक्षा मिले जैसे सिलाई – कढ़ाई, इंटीरियर डेकोरेशन, ब्यूटिशियन व अन्य ऐसे रोजगार जो यहाँ के बच्चें कर सकते है, ऐसे काम हों ताकि उन्हें नौकरी मिले। यह काम कमेटी बनाकर भी किया जा सकता है। इस क्षेत्र के घरों के चूल्हे की आग बुझ चुकी है। इन बीते 25 सालों मे हम कुछ नहीं कर पाए। अम्बुजा आदि ने धोखा दिया है।

2 राकेश वैष्णव, ग्राम रिसदाः ने कहा कि मैं सर्वप्रथम उपाध्याय जी (रीजनल ऑफिसर, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल) का ध्यान चाहूँगा कि अभी आप सबने ईमामी सीमेंट लिमिटेड के प्रोजेक्ट व्यू को सामने रखा। जो ईमामी सीमेंट का प्रोजेक्ट व्यू ईमामी सीमेंट ने दिया क्या आप सबने समझा– नहीं, सबसे पहले कंपनी से उत्सर्जित पदार्थों से प्रदूषण से हानि के बारे में समस्त स्थलों पर दर्शाया जाए, मैं उपाध्याय साहब से जानना चाहता हूँ कि सीमेंट प्लांट से होने वाले पोल्यूशन से हानि के बारें में बाताएं, जो मोबाइल टावर हैं उनसे इलेक्ट्रानिक रिडीएशन से विपरीत प्रभाव पड़ता है, अध्ययन से यह पाया गया है कि मोबाइल टावर के रेडीएशन पशु–पक्षी को विलुप्त कर रहे हैं, बया चिड़िया पहले दिखती थी अब बया चिड़ियाँ नहीं दिखती, मधुमक्खी नहीं दिखती, मानव हितैषी पक्षी, कीट पतंगे, रेडिएशन से जान गवां रहे है मानव भी प्रभावित हो रहे हैं, मैं रीजनल ऑफिसर उपाध्याय जी से जानना चाहता हूँ की मोबाइल टावर मास्ट से होने वाली हानि पर जनसुनवाई क्यों नहीं होती, ईमामी ने सीमेंट प्लांट लगाया जिससे ग्रामवासियों को पर्याप्त मजदूरी, नौकरी मिली है, उद्योग का विरोध नहीं है, मैं प्रदेश की भलाई चाहता हूँ, ईमामी सीमेंट को धन्यवाद कि लोगों को नौकरी दी है व अन्य सीमेंट प्लांटों से ज्यादा सफलता हासिल की है।

3 पाक दास मानिकपुरी, सरपंच, ग्राम ढनढनीः ईमामी सीमेंट प्लांट 35 हेक्टेयर क्षेत्र मे खनन करना चाहता है, जिसमें कृषक जमीन देना चाहते हैं, कुछ समय पहले पलांटेशन, डब्ल्यूबीएम् सड़क का निर्माण, घाट व ड्रिंकिंग वाटर की मांग की थी, इसे ईमामी सीमेंट ने काराया है, सभी किसान किसी न किसी वजह से जमीन दे रहे है, रोजगार की परेशानी है, मैं ईमामी सीमेंट से अनुरोध करता हूँ कि प्रभावित क्षेत्र जहाँ कंपनी ने जमीन खरीदी है उसके परिवार के एक सदस्य को रोजगार मिले, हमारे गाँव के कुछ लोगो को रोजगार मिले हैं पर सभी को रोजगार दिया जाए जो नियमतः हो, मैं जनसुनवाई के लिए धन्यवाद देता हूँ।

4 धीरज वाजपई, बलौदा बाजार : ने कहा कि निश्चित ही कोई प्लांट खुलता है तो हर आदमी को उम्मीद रहती है, जनसुनवाई में सब जानते हैं कि जो होना था वो हो चुका, हर कोई जानता है कि कारखाना खुलेगा तो रोजगार मिलेगा, हर आदमी ठेका, नौकरी चाहता है, सबको मिल नहीं सकती पर एम.बी.ए., आईटीआई पास लड़के बाहर से ना हो

आसपास को रोजगार में प्राथमिकता मिले, कोई कारखाना मानव मूल्यों पर खतरा बन के स्थापित न हो जो किसान 10 एकड़ जमीन बेचे उन्होंने 20 एकड़ बनाई. कई ऐसे हैं जिनके पास आधा या एक एकड़ जमीन है उनको खोना पड़ा, हम जिंदल रायगढ़ जाते हैं, भिलाई जाते हैं तो अच्छा लगता है वहां विकास हुआ है पर बलौदा में सड़क की दुर्दशा है। जो उन्नति होना चाहिए वो नहीं हो रही, बलौदा बाजार विशेषकर में सड़क के निर्माण के लिए कुछ नही हो पाया, नौजवान को कुछ नहीं मिला, छत्तीसगढ़ के लोग कंपनी के प्रोजेक्ट में कन्धे से कन्धा मिला कर काम करेंगे।

5 सुकेश गुप्ता, छात्र संघ अध्यक्ष, बलौदा बाजार : हमारे बीच कई सीमेंट प्लांट है पर फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पद रहा है, इंजीनियरिंग, आईटीआई करके युवा बैठे हैं, मार्ग से भटक चुके हैं, नशा करके मतवाले हाथी जैसे घूम रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि जो कंपनी सीमेंट प्लांट स्थापित कर रही है वह स्थानीय युवा को शिक्षा के हिसाब से रोजगार मिलने से उसके साथी को भी अच्छा महसूस होता है, युवाओं को प्रेरणा दें उन्हें कंपनी मे जगह हो तो कंपनियों में रोजगार दे, उसके हिसाब से हर कॉलेज में सेमीनार हो।

6 सुरेन्द्र शर्मा, बलौदा बाजारः समस्या यह है कि पर्यावरण में खदान से क्या प्रभाव होगा इसके लिए यह सुनवाई है, लोग कम है पर्यावरण के माप से भू–जल, पशु–पक्षी,वनस्पति, जंगल पर क्या असर होगा यह बताएं हमारी मांग है कि सबको नौकरी मिले, आदिवासी लोगों को जमीन खरीदने के लिए कंपनी एडवांस दिया है पर वो जमीन बेच नहीं सकते, इस पर ध्यान दें, यहाँ 7–8 सीमेंट प्लांट है, पर वे यहाँ के विकास पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ अस्पताल खोलना और डॉक्टर की सुविधा होना चाहिए, यह सीमेंट प्लांट की जिम्मेदारी है कि स्वास्थय की सुविधा हो, हम लोगों को किसानी के अलावा काम आता नहीं तो किसान प्लांट में क्या काम करेगा, यदि सीमेंट प्लांट जमीन देने वाले किसानों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है तो इनके बच्चें भी बड़े अधिकारी होंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा के मामले मे पारदर्शिता होना चाहिए।

7 श्रीमती लक्ष्मी बघेल, पूर्व विधायक, बलौदा बाजारः ग्रामवासियों को पानी मिले यहाँ पानी की कमी है कंपनी कहती है कि उसने गाँव गोद लिया है और विकास करेंगे, हम कहते हैं कि कंपनी हमारे गोद में है कंपनी शिक्षित भाई–बहनों को रोजगार दे, बलौदा बाजार में स्वास्थ्य की सुविधा भी नहीं हैं सिर्फ ईमामी से नहीं बल्कि सभी सीमेंट कंपनियों से निवेदन है कि बलौदा बाजार में सर्व सुविधायुक्त अस्पताल बने ताकि आसपास के लोगों व कंपनी के लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधा मिले।

8 लखनलाल वर्मा, जनपद अध्यक्ष, सिमगा बलौदा बाजारः में 5–6 सीमेंट फैक्ट्री हैं सभी फैक्ट्री मिल कर बलौदा बाजार को हरा–भरा करे, रोजगार तो प्राइवेट सेक्टर बहुत देता है, यहाँ सड़के बहुत खराब हैं, पानी की समस्या है, गोठान की समस्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए, सड़क के किनारे की बंजर भूमि पर फलदार वृक्षों की व्यवस्था हो तो खुशहाली होगी, अकाल का कारण पर्यावरण हानि हे, ईमामी सीमेंट से निवेदन है कि पेड़–पौधो, स्वास्थय व पानी की व्यवस्था हो।

9 जनकराम वर्मा, वर्तमान विधायक, बलौदा बाजारः ईमामी सीमेंट परियोजना लग चुकी है, क्षेत्र में पानी व सड़कों की समस्या है, पानी का लेवल गिर रहा है, रिसदा गाँव में टैंकर से पानी आता हे, इसका कारण खदान है, ब्लास्टिंग की वजह से मकानों मे क्या प्रभाव होता है यह अध्ययन किया जाए अम्बुजा, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, ईमामी से क्षेत्र प्रभावित हो

रहा है, कंपनी से उम्मीद है कि बच्चों को नौकरी मिलेगी, किसानों ने खेत बेचे हैं तो उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले, यदि ऐसा नहीं होगा तो आन्दोलन करेंगे, सीएसआर की राशि कहाँ खर्च होती है पता नहीं क्योंकि यहाँ 25 साल से प्लांट चल रहे है पर मुलभूत सुविधाएँ नहीं दिख रही हैं, सभी कंपनियाँ मिलकर एक बड़ा अस्पताल बनाएं कंपनी के स्कूल में कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, इनमें गाँव के बच्चों को भी शिक्षा दी जाए, जल की व्यवस्था बनाई जाए अभी टैंकर से पानी सप्लाई किया जाता है, सीएसआर में यहाँ के लोगों का अधिकार है अतः यहीं पर काम हो, कंपनी मानवतापूर्वक काम करे, स्थानीय डीके कॉलेज में प्रशिक्षण केंद्र खोला जाये।

10 परमेश्वर यदु, बलौदा बाजारः पर्यावरण के लिए जनसुनवाई है, गाँव वालों के समर्थन से फेक्ट्री लगी है, इसका समर्थन है आसपास के लोगों को रोजगार की चिंता है, औद्योगिक शांति व अमन चैन के लिए किसानों की जो बातें सामने आई हैं उन पर फेक्ट्री मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए ताकि फेक्ट्री के आसपास अमन–चैन हो, मेरा प्रोजेक्ट के लिए समर्थन है, रूरल डेवलपमेंट व स्किल डेवलपमेंट के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएँ।

11 ईश्वरी प्रसाद ध्रुव, ग्राम ढनढनी, पंचायत प्रतिनिधिः में आदिवासी लोगों के सम्बन्ध में ज्ञापन देना चाहता हूँ, यहाँ आदिवासी कृषक हैं जिनकी जमीन प्लांट एरिया में आ रही हे इनकी जमीनों के आसपास के किसानों ने अपनी जमीने पलांट को बेच दी हैं, हम आदिवासी अपनी जमीन को बेचने के लिए एडवांस ले चुके है पर मंजूरी नही मिलने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, हम इस जमीन को बेचकर दूसरी जगह जमीन खरीदने के लिए बयाना दे चुके हैं, अपर कलेक्टर से निवेदन है किइस तरह के मामले मे तुरंत मंजुरी दें ताकि हम आदिवासी भी प्रगति कर सकें।

12 कृष्णा अवस्थी, ग्राम रिसदाः अभी जितने भी वक्ताओं ने अपनी बात कही सबकी मंशा विकास करने की है, सभी ने खदान परियोजना का समर्थन किया है, यहाँ पानी की समस्या है, कलेक्टर से निवेदन हे कि सभी सीमेंट कंपनियों की सीएसआर राशि से कुकुरडी बांध का गहरीकरण किया जाए, यह तालाब सूख रहा है, गहरीकरण से इसमें पानी भर सकेगा व सिंचाई हो सकती है, यह सीमेंट प्लांट्स के संयुक्त प्रयास से हो सकता है, ताकि जल समस्या कम हो।

13 डेराराम साहू, ग्राम ढनढनीः खदान परियोजना के लिए 35 हेक्टेयर जमीन के लिए ग्राम पंचायत ने सहमति दी है, गाँव के लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार की व्यवस्था हो ताकि जिन किसानों की जमीन इस परियोजना में गई है उन्हें रोजगार मिले।

14 सुनंदा रेड्डी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेशः मैं इंडस्ट्री का समर्थन करता हूँ दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ रही है, 45 करोड़ से ज्यादा रोजगार की जरूरत है, कंपनी ने प्रोजेक्ट के लिए आधारभूत सर्वे कर लिया है, प्रोजेक्ट के लिए भूमि अच्छी है, पर्यावरण रिपोर्ट में दस किलोमीटर दायरे में फसल व जल की स्थित के आकड़े शामिल किए, मेरा यह कहना है कि माइनिंग एक–एक हेक्टेयर के फेज मे की जाए, इससे लैंड फिलिंग वृक्षारोपण में आसानी होगी, यदि यह संभव न हो तो इसे जल संग्रहण के लिए उपयोग किया जाए, 35 हेक्टेयर जल संग्रहण के लिए हार्वेस्टिंग संरचनाएं बनाई जाएँ, इससे वाटर लेवल बढ़ेगा, आसपास के गाँव में वृक्षारोपण कार्य किया जाए, स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मे प्राथमिकता मिले, बेरोजगारों मे स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए, मेरा निवेदन है कि गाँव, कम्पनी व सरकार की एक को–ओर्डीनेशन कमिटी होना चाहिए, जिससे डिमांड के मुताबिक काम करवाए जा सके।

15 उमेन्द राम साहू, सरपंच, ग्राम रिसदाः परियोजना के लिए आपत्ति नहीं है, हमने इसके लिए जमीन दी है, ईमामी कंपनी के लोग बाहर के लोगों को रोजगार न दें, इस साल वर्षा कम है, इसलिए माइंस में इकट्ठा पानी गाँव के तालाब में निस्तार के लिए दें, परियोजना से प्रभावित किसानों की लिस्ट कंपनी को सोंपी गई है उसमें से कई लोगों को रोजगार नहीं दिया है, कंपनी योग्यता के हिसाब से रोजगार दे,

16 हुलास दास, ग्राम ढनढनीः मैंने 2 खाते की जमीन दी है पर कंपनी ने मुझे रोजगार नहीं दिया।

जनसुनवाई में वक्ताओं के उपरोक्त कथन के बाद अपर कलेक्टर महोदया ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की।

10/XI/16

( श्रीमती लीना कमलेश मण्डावी )
अपर कलेक्टर
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)